न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, डीग जिला डीग(राज.)

प्रकरण संख्याः- 125/2021(जी.सी.एम.एस.नम्बर 2021/88) पीठासीन अधिकारीः- श्री देवी सिंह (R.A.S)

उनवान

1. मोहित
2. रोहित

पुत्रगण ज्ञानवीर जाति जाट निवासी सिनसिनी तहसील व जिला डीग(राज0)

-सायलान

बनाम

1. जयवीर सिंह पुत्र मान सिंह
2. भूपेन्द्र सिंह पुत्र जयवीर

जातियान जाट नि0 सिनसिनी तहसील व जिला डीग(राज0)

3. विजय पुत्री जयवीर पत्नी रणजीत सिंह जाति जाट नि0 भरतपुर
4. लता पत्नी रामप्रसाद पुत्री जय सिंह जाति जाट नि0 कागारौल,आगरा उ.प्र.
5. अनीता पत्नी गोवन्द पुत्री जयवीर सिंह जाति जाट नि0 डिगरौता(खेरागढ) जिला आगरा, उ.प्र.
6. पूजा कुमारी पुत्री जयवीर सिंह पत्नी राहुल जाति जाट नि0 डिगरौता(खेरागढ) जिला आगरा, उ.प्र.
7. पार्वती पत्नी पंकज पुत्री जयवीर सिंह जाति जाट नि0 खेरागढ,आगरा,उ.प्र.
8. सुमन पुत्री जयवीर सिंह पत्नी देवेश जाति जाट निवासी अकोला तहसील किरावली(आगरा)उ.प्र.
9. रजनीदेवी पत्नी रामवीर सिंह जाति जाट निवासी ग्राम सिनसिनी तहसील व जिला डीग(राज0)

-गैर सायलान

उप खण्ड मजिस्ट्रेट डीग

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट,

निर्णय दिनांकः 26.08.2025

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, इस आशय के साथ पेश किया गया कि आराजी खसरा नम्बरान 2371/0.15, 2372/0.23, 2438/0.16, 652/0.08, 678/0.37, किता-5 कुल रकबा 0.99 हैक्टे0 वाके ग्राम सिनसिनी प्रथम तहसील डीग में स्थित है। सायलान व गैर सायलान संख्या 01 लगायत 08 एक ही परिवार के सदस्य है। सायलान व गैर सायलान संख्या 02 लगायत 08 गैर सायलान संख्या 01 के पुत्र व पुत्रियां है। इस प्रकार सायलान व गैर सायलान संख्या 01 लगायत 08 एक ही परिवार के सदस्य है। विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 02 प्रार्थना पत्र सायलान के बाबा व गैर सायलान संख्या 02 लगायत 08 के पिता जयवीर सिंह गैर सायलान संख्या 01 को सायलान के परबाबा व गैर सायलान संख्या 02 व 08 के बाबा मान सिंह से विरासतन प्राप्त

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

हुई है और उक्त आराजी सायलान व गैर सायलान संख्या 01 लगायत 08 की पैत्रिक व पुश्तैनी आराजी है जिसमें सायलान व गैर सायलान संख्या 02 लगायत 08 का जन्म से ही मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम हित व अधिकार है। सायलान के पिता ज्ञानवीर का देहान्त हो चुका है। सायलान का जन्म से ही मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम हिस्सा है व हित निहित है और मुताविक उत्तराधिकार अधिनियम सायलान उक्त आराजी में हिस्सा 1/9 पर सायलान एवं गैर सायलान संख्या 1 हिस्सा 1/9 पर एवं गैर सायल संख्या 2 लगायत 8 प्रत्येक हिस्सा 1/9 पर काबिज काश्त है और इसी कदर मौके पर वाहैसियत खातेदार काश्तकार काविज चले आ रहे है और इसी कदर मौके पर सायलान व गैर सायलान संख्या 01 लगायत 07 का कब्जा है। गैर सायल संख्या 01 वर्णित आराजी के राजस्व रिकार्ड में गलत तरीके पर दर्ज होता चला आ रहा है जबकि गैर सायल संख्या 01 का विवादित आराजी सम्पूर्ण से कोई सम्बन्ध किसी प्रकार का नहीं है और ना ही उसका सालिम आराजी पर कोई कब्जा काश्त ही है। सायलान विवादित आराजी में अपने आपको वाहिस्सा बरावर 1/9 पर राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार दर्ज करा पाने के अधिकारी है।

उक्त गलत इन्द्राज का अनुचित फायदा उठाकर गैर सायल संख्या 01 ने उक्त आराजी वर्णित मद संख्या 02 प्रार्थना पत्र से आराजी खसरा नम्बर 2371/0.15 का हिस्सा 12/15 जरिये रजिस्टर्ड बयनामा गैर सायल संख्या 8 रजनी देवी पत्नी रामवीर सिंह जाति जाट को दिनांक 24.09.2021 को बिना किसी पारिवारिक आवाश्यकता के महत सायलान को उनके जायज हक से वंचित करने की नीयत से विक्रय कर दिया है। जबकि गैर सायल संख्या 01 का सालिम आराजी पर कोई कब्जा नहीं था और ना कोई कब्जा उक्त आराजी का गैर सायल रजनीदेवी पत्नी रामवीर सिंह जाति जाट को दिया गया है इसलिए गैर सायल संख्या 01 द्वारा आराजी जरिये रजिस्टर्ड बयनामा गैर सायल संख्या 08 रजनीदेवी पत्नी रामवीर सिंह जाति जाट को विक्रय कर दिया है। सायलान व गैर सायल संख्या 02 लगायत 09 के हिस्सा 1/9 की हद तक व मुकाबले सायलान वातिल व वेअसर करा दिया जाकर काबिले शून्य है। अतः निवेदन है कि गैर सायलान को ता फैसला दावा जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा पावंद फरमाया जावे कि गैर सायलान विवादित आराजी वर्णित मद संख्या 2 प्रार्थना पत्र विवादित आराजी स्थित ग्राम सिनसिनी प्रथम तहसील डीग के आराजी खसरा नम्बरान 2371/0.15, 2372/0.23, 2438/0.16, 652/0.08, 678/0.37, किता-5 रकबा 0.99 हैक्टे0 से सायलान को उनके हिस्सा आराजी से जबरन बेदखल कर कब्जा नाजायज ना करें व रहन वय मुन्तकिल नहीं करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर सम्बन्धित गैर सायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया। दिनांक 31.12.2021 को प्रतिवादी/गैर सायल संख्या 09 की ओर से श्री मुकेश कुमार एडवोकेट ने अपना वकालतनामा पेश किया गया तथा प्रति0/गैर सायलान संख्या 1,3,4,5,6,7,8 स्वयं उपस्थित आये। दिनांक 25.03.2022 को प्रति0/गैर सायलान संख्या 01 लगायत 08 की ओर से श्री राकेश मुदगल एडवोकेट ने मय वकालतनामा जबाव दावा पेश किया गया। दिनांक 18.04.2022 को प्रति0/गैर सायल संख्या 09 की ओर से जवाव दावा व जवाव प्रार्थना पत्र पेश किया गया। वकील वादी/सायल के द्वारा दिनांक 06.05.2025 को वादी संख्या 01 मोहित तथा वादी संख्या 02 रोहित के नावालिग से वालिग हो जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र पेश किया गया जोकि दिनांक 27.05.2025 को सुनवाई उपरांत स्वीकार किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 09 की ओर से श्री अनिल कुमार गुप्ता एड0 मय वकालतनामा के उपस्थित आये।

दिनांक 23.07.2025 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट पर उभय पक्ष के वकील की बहस सुनी गई।

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

हमने सायलान के प्रार्थना पत्र एवं गैर सायलान संख्या 09 के जबाव स्थगन प्रार्थना पत्र एवं वकील उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया।

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बररान 2371/0.15, 2372/0.23, 2438/0.16, 652/0.08, 678/0.37 किता-5 रकबा 0.99 हैक्टे. ग्राम सिनसिनी तहसील डीग में स्थित में जमाबन्दी सम्बत 2074-2077 उक्त आराजी जयवीर सिंह पुत्र मान सिंह हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा0 सिनसिनी खातेदार दर्ज है। जिस पर नामा0 संख्या 3528 दिनांक 27.10.2021 बेचान खसरा नम्बर 2371 पर जयवीर सिंह पुत्र मान सिंह से जयवीर सिंह पुत्र मान सिंह पर नामा0 प्रक्रियाधीन है,नोट अंकित है।

सायलान ने दावा बावत उद्घोषणा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु अन्तर्गत धारा 88-89,91 व 188 आर.टी.एक्ट में दावा पेश किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 को एक ही परिवार का सदस्य बताया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 8 प्रतिवादी संख्या 1 के पुत्र व पुत्रियां है। वादीगण के पिता ज्ञानवीरका देहान्त हो चुका है। वादीगण अवयस्क है। वादपत्र में वर्णित आराजी पर वादीगण का जन्म से ही मुताविक हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम हिस्सा है व हित निहित है। मुताविक उत्तराधिकार अधिनियम वादीगण उक्त आराजी में हिस्सा 1/9 पर एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/9 पर एवं प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 प्रत्येक हिस्सा 1/9 पर काबिज काश्त चले आ रहे है। वादग्रस्त आराजी वादीगण के बाबत व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 8 के पिता जयवीर सिंह प्रतिवादी संख्या 1 को वादीगण के परबाबा व प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 8 के बाबा मान सिंह से विरासतन प्राप्त हुई है। जोकि वादीगण प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 8 की पैत्रिक व पुश्तैनी आराजी है।

प्रतिवादी संख्या 1 ने उक्त आराजी वर्णित मद संख्या 2 वादपत्र से आराजी खसरा नम्बर 2371/0.15 का हिस्सा 12/15 जरिये रजिस्टर्ड बयनामा प्रतिवादी संख्या 9 रजनी देवी पत्नी रामवीर सिंह जाति जाट को दिनांक 24.09.2021 को बिना किसी पारिवारिक आवश्यकता के महज वादीगण को उनके जायज हक से वंचित करने की नीयत से विक्रय कर दिया है। जबकि प्रतिवादीगण संख्या 1 का सालिम आराजी पर कोई कब्जा नहीं था और ना ही कोई कब्जा उक्त आराजी का प्रतिवादी रजनी देवी पत्नी रामवीर सिंह जाति जाट को दिया गया है। प्रतिवादी रजनी देवी पत्नी रामवीर सिंह जाति जाट को विक्रय किया गया है। वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 2 लगायत 9 के हिस्सा 1/9 की हद तक मुकाबिले वादीगण वातिल व वेअसर है।

जमाबन्दी सम्बत 2013 से 2016 में वादग्रस्त आराजी के साविक खसरा नम्बर खुदकाश्त मान सिंह के नाम दर्ज है। जोकि प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है। नामा0 संख्या 1127 से वादग्रस्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 के नाम जरिये विरासतन दर्ज हुई है। भू-प्रबंध मिलान क्षेत्रफल सम्बत 2040 के अनुसार साविक खसरा नम्बर 2371 रकबा 0.15 से हाल खसरा नम्बर 1907 रकबा 15 विस्वा बना है।

रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 24.09.2021 से जयवीर सिंह पुत्र मान सिंह ने रजनी देवी पत्नी रामवीर सिंह को खसरा नम्बर 2371/0.15 किता-1 रकबा 0.15 हैक्टे0 का 12/15 हिस्सा प्रतिफल राशि एक लाख पचास हजार में विक्रय किया है। शेष हिस्सा 3/15 वाया वदस्तूर रहा है। दखल व कब्जा मौका क्रेता को दे दिया है।

वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2371/0.15, 2372/0.23, 2438/0.16, 652/0.08, 678/0.37 किता-5 रकबा 0.99 हैक्टे0 का हिस्सा 1/9 प्रतिवादी संख्या 1 का बनता है। जो प्रतिवादी संख्या 1 के द्वारा प्रतिवादी संख्या 9 को विक्रय पत्र के जरिये विक्रय की गई भूमि के बरावर है। जिसको पैत्रिक भूमि होने के बाद भी प्रतवादी संख्या 1 को विक्रय करने का अधिकार है।

गैर सायल संख्या 9 के अधिवक्ता के द्वारा प्रस्तुत नजीरें 2018(3) Apex Court Judgements 557{Sc}Supreme Court of India, ABAY MANOHAR SAPRE & SAJAY KISHAN KAUL JJ {Civil} Apeal N- 3264 of 2011 निर्णय दिनांक 20.08.2018 में (1) Hindu law- Ancestral Property_ Sale For Legal Necessity by karta- once Factum of existence of legal necessity stood proved no coparcener has a right to challange sale made by karta {para 28}

उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner

{ii} Hindu law- Ancestral Property sale For Legal Necessity by karta- karta of family had every right to sell suit land belonging to family to discharge debt liability and spend some moneny to make improvement in agricultural land for maintenance of his family-Existence of legal necessity stood proved- plantiff being son of karta was one of coparceners along with his father and he has no right to challenge such sale- sale rightly. held legal and valid. 2024{1}Apex court Judgement 198{sc} Supreme court of india.

SANJIV KHANNA & SVN BHATTI JJ Petition for special leave to Apeal{C} NOC 21476-21477 of 2023 Dt. 03.10.2023

{1} Hindu law- Joint family property- Allenation by karta – karta has right to sell/dispose of/Alienate HUF property i even if a miner of family has undivided interest{para.2} 2016{1}Apex court judgment 572{Sc}supreme court of india.

Vikramjit sen & Shiva kirti singh jj. civil appeal no 3687 of 2006 D. 01.12.2015

{iv}hindu law- karta – junior members of family are bound by decisions of karta in matters of family business and property unless it can be pleaded and proved that head of family has acted faraudulently or for immoral purposes {para.27}

गैर सायल संख्या 9 के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत नजीरें प्रस्तुत प्रकरण पर चस्पा होती है। गैर सायल संख्या 1 के द्वारा गैर सायलान संख्या 9 के पक्ष में किया गया है। विक्रय पत्र वातिल एवं वेअसर योग्य नहीं है। गैर सायलान संख्या 9 के हिस्से की सीमा तक दिनांक 03.11.2021 को जारी अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आराजी खसरा नम्बर 2371/0.15 के शेष हिस्सा 3/15 व अन्य आराजी खसरा नम्बरान 2372/0.23, 2348/0.16, 652/0.08, 673/0.37 पर स्थगन को पुष्ट {CONFIRM} किया जाता है। ऐसी स्थिति में हम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट, को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः आदेश है किः-

सायलान द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट आंशिक स्वीकार किया जाता है। गैर सायलान संख्या 9 के हिस्से की सीमा तक न्यायालय हाजा से जारीशुदा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 03.11.2021 को खसरा नम्बर 2371/0.15 के हिस्सा 12/15 से हटाई जाती है तथा आराजी खसरा नम्बर 2371/0.15 के शेष हिस्सा 3/15 व अन्य आराजी खसरा नम्बरान 2372/0.23, 2348/0.16, 652/0.08, 673/0.37 पर स्थगन आदेश को पुष्ट {CONFIRM} किया जाता है।

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

निर्णय आज दिनांक 26.08.2025 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

उप खण्ड मजिस्ट्रेट

(देवी सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,
डीग
उपखण्ड अधिकारी
डीग (डीग) राज.

Scanned with OKEN Scanner